सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट-दिनांक 14.07.2026

- *# मात्र10 घंटे के अन्दर हत्या की घटना का सफल अनावरण।*
- **सुनियोजित तरीके से आपराधिक षडयंत्र रचकर पति की हत्या करने वाली अभियुक्ता पत्नी व उसके प्रेमी (सह-अभियुक्त) किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 01 आलाकत्ल गमछा, मृतक की 01 सोने की अंगूठी, 01 एन्ड्रायड मोबाइल फोन तथा 01 कीपैड फोन बरामद।**

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा श्री अभयनाथ त्रिपाठी के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अवनीश सिंह के नेतृत्व में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 14.07.2026 को वादी सुघर सिंह पुत्र स्व० छोटे लाल, निवासी ग्राम तोड़ा, मोहल्ला प्रतापनेर, थाना सिविल लाइन, जनपद इटावा द्वारा थाना सिविल लाइन पर तहरीर दी गयी कि वादी के पुत्र आनन्द उर्फ महबूब उम्र करीब 35 वर्ष का शव दिनांक 13,07,2026 को 00.30 बजे रात्रि में उसके कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया था। प्रार्थी को ऐसा विश्वास है कि मेरी पुत्रवधू आशिकी देवी पत्नी आनन्द उर्फ महबूब द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर मेरे पुत्र की हत्या की है।

वादी की तहरीर पर थाना सिविल लाइन पर **मु0अ0सं0 129/2026 धारा 103(1) बीएनएस बनाम आशिकी देवी एवं साथी नाम पता अज्ञात** पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं हत्या की घटना के सफल अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव** के निर्देशन में आज दिनांक 14.07.2026 को थाना सिविल लाइन पुलिस टीम द्वारा **अभियुक्ता आशिकी देवी पत्नी स्वर्गीय आनंद उर्फ महबूब, निवासी ग्राम तोड़ा, थाना सिविल लाइन तथा अभियुक्त शिवम पुत्र जगत सिंह, निवासी ग्राम तोड़ा, थाना सिविल लाइन, जनपद इटावा को गिरफ्तार किया गया।**

पुलिस पूछताछः-

पुलिस पूछताछ मे गिरफ्तार अभियुक्ता आशिकी देवी ने बताया कि उसकी शादी 14 वर्ष पूर्व मृतक आनंद के साथ हुई थी तथा उसके 02 लडकियाँ व 01 लड़का है। शिवम राजपूत पुत्र जगत सिंह जो उसके पडोस मे ही रहता है, उससे उसके अवैध प्रेम संबंध थे। उसके पति द्वारा विरोध करने पर मेरे द्वारा शिवम के विरुद्ध थाना सिविल लाइन पर **मु०अ०सं० 02/2026, धारा 64/504/506 बीएनएस** पंजीकृत कराया था जिसमे शिवम राजपूत जेल गया था तथा 01.06.2026 को जेल से जमानत पर छूट कर आया था।

पूछताछ में अभियुक्तगण ने बताया कि जमानत पर रिहा होने के उपरान्त दोनों पुनः संपर्क में आए, जिस पर मृतक आनंद उर्फ महबूब को दोनों के संबंधों पर संदेह हो गया था। अभियुक्तों के अनुसार मृतक द्वारा लगातार निगरानी रखने एवं विरोध किए जाने के कारण दोनों ने उसे अपने रास्ते से हटाने के उद्देश्य से सुनियोजित ढंग से हत्या करने का षड्यंत्र रचा। विवेचना के दौरान यह भी प्रकाश में आया कि दोनों अभियुक्त एक अलग सिम कार्ड एवं मोबाइल फोन के माध्यम से आपस में संपर्क में रहते थे।

पूछताछ में अभियुक्ता ने बताया कि घटना की रात्रि उसने पूर्व सुनियोजित योजना के तहत अपने पति को पेय पदार्थ में नींद की गोलियां मिलाकर पिला दीं। मृतक के अचेत हो जाने पर उसने अभियुक्त शिवम को घर बुलाया, जिसके उपरान्त दोनों ने मिलकर गमछे से गला कसकर उसकी हत्या कर दी। घटना के उपरान्त पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से अभियुक्ता स्वयं मकान की छत पर बने कमरे में चली गई तथा सह-अभियुक्त शिवम बाहर से कुंडी लगाकर मौके से फरार हो गया। अभियुक्ता से प्राप्त जानकारी एवं विवेचना में संकलित साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त शिवम पुत्र जगत सिंह को लॉयन सफारी मार्ग (केदारेश्वर मंदिर के आगे) से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तगणों की निशांदेही पर 01 गमछा (आलाकत्ल), मृतक की सोने की 01अंगूठी, 01 एंड्रॉइड मोबाइल फोन(जिसका प्रयोग अभियुक्त शिवम द्वारा घटना की साजिश रचने एवं घटना के दौरान अभियुक्ता आशिकी देवी से गुप्त संवाद स्थापित करने में किया गया था), 01 कीपैड मोबाइल फोन (जो अभियुक्त शिवम द्वारा अभियुक्ता को गुप्त वार्ता हेतु उपलब्ध कराया गया था) बरामद किये गये ।

उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध मे थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 129/2026 धारा 103(1) बीएनएस मे धारा 3(5)/61 बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. आशिकी देवी पत्नी स्वर्गीय आनंद उर्फ महबूब निवासी ग्राम तोड़ा थाना सिविल लाइन जनपद इटावा ।
2. शिवम पुत्र जगत सिंह निवासी ग्राम तोड़ा थाना सिविल लाइन जनपद इटावा उम्र करीब 24 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 129/2026 धारा 103(1)/3(5)/61 बीएनएस थाना सिविल लाइन जनपद इटावा ।

बरामदगी:-

1. 01 गमछा (आलाकत्ल)
2. मृतक की सोने की 01 अंगूठी ।
3. 01 एंड्रॉइड मोबाइल फोन ।
4. 01 कीपैड मोबाइल फोन ।

पुलिस टीम- प्रभारी निरीक्षक श्री कण्व कुमार मिश्रा थाना सिविल लाइन मय टीम ।

नोट:- ***उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा ₹10,000 की नकद पुरस्कार राशि से पुरस्कृत किया गया। साथ ही, अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री अभयनाथ त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अवनीश कुमार सिंह के उत्कृष्ट पर्यवेक्षण एवं कुशल नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्हें प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाएगा ।***